



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ [छ.ग.-496116]

Email – dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com Phone & Fax : 07766-266599, 07766-266739

क्रमांक / मा.चि. / 603
प्रति,

धरमजयगढ़, दिनांक 12/04/2023

परियोजना प्रबंधक,
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छ.ग.सड़क विकास परियोजना
लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of forest land for Widening of Existing Road From Bakaruma- Lailunga Road area 3.843ha.

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH-14/2022/1279 दिनांक 27.02.2023
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/115-25/807 दिनांक 31.03.2023

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3.843 हे. प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तों के तहत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्र. 02 के परिपालन में सी.ए. अंतर की राशि जमा किया जाना है :-

1. सी.ए. वर्तमान सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर रुपये 966666/- प्रति हे. की दर से सी.ए. अंतर की राशि निम्नानुसार है।

वर्तमान दर अनुसार	:-	966666.00 X 7.70 हे.	=	7443328.20
पूर्व (वर्ष 2022-23) दर	:-	878787.00 X 7.70 हे.	=	6766659.90
अंतर की राशि			=	676668.30

अतः आपको लेख किया जाता है कि, सी.ए. अंतर की राशि 676668.30 रु. (शब्दों में छः लाख छेहत्तर हजार छः सौ अरसठ रु. तीस पैसे मात्र) छ.ग. राज्य कैम्पा (CAMP) खाते में वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति एवं अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

पृ. क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 604
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल
/ धरमजयगढ़, दिनांक 12/04/2023

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल